

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड १

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २८] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी ३, १९७३/माघ १४, १८९४

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1973/MAGHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd February, 1973

SUBJECT.—*Import of Asafoetida (Hing), S. No. 31(b)/V, ITC from Afghanistan and counter export of goods from India, under Indo-Afghan Trade Arrangement 1972-73 (i.e. 1st March, 1972 to 28th February, 1973)—Introduction of banking system.*

No. 18-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 164-ITC(PN)/72, dated the 18th November, 1972, regarding import of Asafoetida (Hing) from Afghanistan, through banking channels.

2. It has been provided in paragraph 9 of the aforesaid Public Notice that the other terms and conditions as contained in the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated the 30th June, 1972, will apply the case of import of Asafoetida from Afghanistan. In partial modification of this provision, it has been decided that the value of imported Asafoetida for the purpose of debit to the CCPs and for remittance to the supplier, through the bank, as also for the purpose of determining counter-balancing exports in respect of such imports, will be the value as declared in the supplier's invoice and appearing in the Bill of Exchange.

3. The Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 164-ITC(PN)/72, dated the 18th November, 1972, may be deemed to have been amended accordingly.

K. S. NARANG,

Chief Controller of Import & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1973

विषय.—भारत-अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था 1972-73 (अर्थात् 1-3-1972 से 28-2-1973 तक) के अधीन अफगानिस्तान से हींग, आयात व्यापार नियंत्रण क्रम सं० 31(बी)/5 का आयात और उसके विपरीत भारत से माल का प्रति निर्यात—बैंक प्रणाली का प्रारम्भ ।

संख्या 18-आई० टी०सी० (पीएन)/73.—बैंक प्रणाली के माध्यम से अफगानिस्तान से हींग के आयात के संबंध में विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 164-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 19 नवम्बर 1972 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना की कड़िका 9 में यह दिया गया है कि अफगानिस्तान से हींग के आयात के मामले में अन्य शर्तों विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 93-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 30 जून, 1972 में दी गई शर्तों के अनुसार लागू होंगी । इस व्यवस्था में आंशिक आणोधान करते हुए यह निश्चय किया गया है कि बैंक के माध्यम से स्वीप्स शुल्क त्रिकासी परसिटों के नाम में लिखने के लिए और संवरक को धन परेषण के लिए और ऐसे आयातों के संबंध में प्रति-संतुलन निर्यातों का निश्चय करने के लिए भी आयातित हींग का मूल्य संभरक के बीजक में ओषित किया गया मूल्य और मद्रा विनिमय के बिल में दिखाया गया मूल्य होगा ।

3. विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 164-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 18 नवम्बर, 1972 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाए ।

के० एस० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।